F.No. O-21030/15/2010-Coord Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Coordination Section)

New Delhi, 31st December, 2020 OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reconstitution of Internal Complaint Cell in the Department of Revenue (Hqrs) in pursuance of Supreme Court's order in prevention of sexual harassment of working women in the work place. - regarding

The undersigned is directed to state that in supersession of this office OM No. 7/25/2005-Coord dated 20th September, 2007 and subsequent OM of even number dated 9th October, 2020 on the above mentioned subject, the Internal Complaint Cell of Department of Revenue is re-constituted as under:-

1.	Ms. Himabindu Mudumbai, Joint Secretary (Admn), CBIC	Chairperson
2.	Ms. Mechal Bhosale, Additional Commissioner, OSD-CX, CBIC	Member
3.	Shri D.K. Verma, Deputy Secretary (Ad-VI), CBDT, Department of Revenue	Member
4.	Mrs. Kuljit Kaur, Secretary General, All India Women's Conference, Sarojini House, 6, Bhagwandas Road, New Delhi.	Member
5.	Ms. Aashwita Lal, Director Headquarter, CBDT	Member
6.	Shri Xavier Toppo, Under Secretary-(Coord), Department of Revenue	Member
7.	Ms. Rita Mal, Under Secretary- (Cash), Department of Revenue	Member Secretary

2. As per the directions issued by Cabinet Secretariat vide letter no. 1/109/7/2009-TS dated 7th August, 2009, the Complaint Review cell is requested to hold quarterly meeting of the complaint even if there are no complaints and review the state of preparedness to deal with such complaint reviewed as also measures to be taken to make all officers fully aware of their responsibilities in this regard.

3. All concerned are advised to contact the Chairperson/Member of the Complaint Cell, for redressal of their grievances, if any.

- 4. This issues with the approval of Finance Secretary.
- 5. Hindi version is enclosed.

(Lalit Wadhwa)

Deputy Secretary to the Govt. of India Tel: 2309-2282

All offices/Sections of Department of Revenue

Copy to:

- 1) Ms. Himabindu Mudumbai, JS (Admn), CBIC
- 2) Ms. Meenal Bhosale, Additional Commissioner, OSC-CX, CBIC.
- 3) Shri. D.K. Verma, Deputy Secretary (Ad-VI), CBDT Department of Revenue.
- 4) Mrs. Kuljit Kaur, All India Women's Conference, Sarojini House, 6, Bhagwandas Road, New Delhi.
- 5) Ms. Aashwita Lal, Director Headquarter, CBDT
- 6) Ms. Rita Mal, US (Cash). DoR
- Shri Xavier Toppo, Under Secretary-(Coord), DoR

8) US-GAR - for uploading the order on the Website of DoR.

फा. सं. ओ-21030/15/2010-समन्वय

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (समन्वय अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 | दिसंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राजस्व विभाग (मु.) में शिकायत प्रकोष्ठ का पुनर्गठन- तत्संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 20 सितंबर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/25/2005-समन्वय और तदोपरांत दिनांक 9 अक्तूबर, 20:20 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए राजस्व विभाग के आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन किया जाता है:-

1.	सुश्री हिमाबिंदु मदुम्बई, संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)	अध्यक्ष
2.	सुश्री मीनल भोंसले, अपर आयुक्त, ओएसडी-सीएक्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)	सदस्य
3.	श्री डी. के. वर्मा, उप सचिव (प्रशा. VI), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती कुलजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सरोजनी हाउस, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सुश्री आश्विता लाल, निदेशक मुख्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग	सदस्य
6.	श्री जेवियर टोप्पो, अवर सचिव (समन्वय), राजस्व विभाग	सदस्य
7.	श्रीमती रीता मल, अवर सचिव – (रोकड़), राजस्व विभाग	सदस्य सचिव

2. मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 के पत्र सं. 1/109/7/2009-टीएस के तहत जारी निदेशों के अनुसार शिकायत समीक्षा प्रकोष्ठ से अनुरोध है कि शिकायतों के संबंध में नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित की जाएं, चाहे कोई शिकायत न भी प्राप्त हो, और उन बैठकों में ऐसी शिकायतों से

-2-

निपटने के संबंध में तैयारी की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ सभी अधिकारियों को इस संबंध में उनकी जिम्मेदारियों के प्रति पूर्ण रूप से जागरुक बनाने के लिए उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए।

- 3. सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतों, यदि कोई है, के निवारण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष/सदस्य से संपर्क करें।
- 4. यह पत्र वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Cherc

(लितत वाधवा) उप सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 2309-2282

राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग प्रतिलिपि:

- 1) सुश्री हिमाबिंदु मदुम्बई, संयुक्त सचिव (प्रशा.), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)
- 2) सुश्री मीनल भोंसले, अपर आयुक्त, ओएसडी-सीएक्स, सीबीआईसी
- 3) श्री डी. के. वर्मा, उप सचिव (प्रशा. VI), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग
- 4) श्रीमती कुलजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सरोजनी हाउस, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली
- 5) सुश्री आश्विता लाल, निदेशक मुख्यालय, सीबीडीटी
- 6) श्रीमती रीता मल, अवर सचिव (रोकड़), राजस्व विभाग
- 7) श्री जेवियर टोप्पो, अवर सचिव (समन्वय), राजस्व विभाग
- 8) अवर सचिव सामान्य प्रशासन राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के लिए